तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज केवलराम शर्मा बनाम श्रीमती गीता देवी व अन्य अपील जीसीएमएस संख्या 2024/5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बस्सी जिला जयपुर द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र 08.12.2023 को राजीनामा के आधार पर शून्य एवं निरस्त घोषित किया जा चुका है। चूंकि विवादित विक्रय पत्र ही निरस्त किया जा चुका है इस कारण अपीलांट का अपने हक में नामान्तरकरण खुलवाने का अधिकार भी समाप्त हो चुका है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे। वकील अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2023 के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु अपील प्रस्तुत की है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2023 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बस्सी जिला जयपुर द्वारा राजीनामा के आधार पर शून्य एवं निरस्त घोषित किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में अपील को आगे चलाने जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। (पूनम) संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त जयपुर	